

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-विदिशा

क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/774

विदिशा, दिनांक 04/07/2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक खेल पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेल के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

| SN | ROLL NO       | RANK | NAME AND F/H NAME                                     | ADDRESS                                                                           | CATE GORY | SELECTED CATEGORY | POSTING PLACE                                              | DISTRICT |
|----|---------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 6002250721781 | 29   | SHISHANK SHARMA F/H Name- SHAMBHU DAYAL SHARMA        | INFRONT OF INDIAN BANK KHARI FATAK ROAD VIDISHA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001 | UR        | UR/X/OP           | DISE- 23310723116 GHSS VIDISHA(9 to 12)                    | Vidisha  |
| 2  | 6002250638562 | 77   | CHETAN MATHUR F/H Name- RAJENDRA KUMAR MATHUR         | WARD NO 5 NEAR MUSKAN CINEMA DADJI PLAZA GANJ BASODA VID MADHYA PRADESH 464221    | EWS       | EWS/X/OP          | DISE- 23310128396 GOVT SANDIPANI HSS RAJENDRA NAGAR BASODA | Vidisha  |
| 3  | 6002250692684 | 168  | PANKAJ BHARGAVA F/H Name- VISHAN NARAYAN BHARGAVA     | NA GRAM BYONCHI POST PIPALKHEDA KALAN VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464113           | EWS       | GF/UR/X/OP        | DISE- 23310723118 GOVT SANDIPANI HSS BARRIPURA VIDISHA     | Vidisha  |
| 4  | 6004250704113 | 181  | RAJA SINGH RAJPOOT F/H Name- JAI MANDAL SINGH RAJPOOT | FUFER FUFER TEHSIL NATERAN VID MADHYA PRADESH 464221                              | UR        | UR/X/OP           | DISE- 23310128399 PMSHri-GHSS GIRLS MANDI BASODA(1 to 12)  | Vidisha  |
| 5  | 6002250702072 | 333  | NISHANK JAIN F/H Name- MR. N.K JAIN                   | 58 KHARI PHATAK ROAD KHARI PHATAK ROAD VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001          | EWS       | UR/X/OP           | DISE- 23310720309 PMSHri-GHSS SATAPADA SARAI(1 to 12)      | Vidisha  |
| 6  | 6002250759404 | 408  | SANTOSH KIRAR F/H Name- JASWANT SINGH                 | 25 BYONCHI PIPALKHEDA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464113                           | OBC       | UR/X/OP           | DISE- 23310510909 GOVT SANDIPANI HSS NATERAN               | Vidisha  |
| 7  | 6009250665551 | 427  | SHALNI YADAV F/H Name- DINESH YADAV                   | NIL GRAM POST TILA BUJURG SIHORA RAHATGARH SAG MADHYA PRADESH 470120              | OBC       | OBC/X/OP          | DISE- 23310310710 PMSHri-GHSS LAYARA (Nursery to 12)       | Vidisha  |
| 8  | 6002250769050 | 433  | SANYOGITA VISHWAKARM A F/H Name- RAMESH VISHWAKARM A  | 01 NEAR KOTWALI CHOURAHA HARDOLALA MANDIR SEHORE SEHORE SEH MADHYA PRADESH 466001 | OBC       | OBC/X/OP          | DISE- 23310207416 GOVT SANDIPANI HSS GYARASPU              | Vidisha  |

*(Signature)*

|    |               |      |                                                                        |                                                                                                           |    |            |                                                                               |         |
|----|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9  | 6003250666756 | 479  | AKHAND<br>SINGH SRINET<br>F/H Name-<br>SHAMBHUNAT<br>H SINGH<br>SRINET | E/338 DIVYA<br>NAGAR VISTAR<br>DIVYA NAGAR<br>VISTAR<br>GORAKHPUR<br>GORAKHPUR<br>UTTAR PRADESH<br>273010 | UR | UR/X/OP    | DISE-<br>23310126809<br>GHSS<br>UDYAPUR(6 to 12)                              | Vidisha |
| 10 | 6010250749024 | 577  | JITENDRA<br>PRATAP<br>YADAV F/H<br>Name- SAHAB<br>LAL YADAV            | 01 VILL<br>DELHUPUR POST<br>SHEETALGANJ<br>MARIAHU<br>MARIAHU<br>JAUNPUR UTTAR<br>PRADESH 222161          | UR | UR/X/OP    | DISE-<br>23310128006<br>GHSS UHAR(6 to<br>12)                                 | Vidisha |
| 11 | 6010250680618 | 584  | RAJIT RAM F/H<br>Name- RAM<br>KARAN                                    | 20 MATERA<br>KHANDASA<br>MILKIPUR<br>FAIZABAD UTTAR<br>PRADESH 224153                                     | UR | UR/X/OP    | DISE-<br>23310517619<br>PMSHri-GHSS<br>SAMSHABAD<br>GIRLS 6 TO 12(6<br>to 12) | Vidisha |
| 12 | 6002250653333 | 659  | PRAMOD<br>KULPARIYA<br>F/H Name- R C<br>KULPARIYA                      | 91 A SECTOR<br>AWADHPURI<br>KHAJURI KALAN<br>PIPLANI BHEL<br>HUZUR BHP<br>MADHYA<br>PRADESH 462022        | SC | SC/X/OP    | DISE-<br>23310320221<br>GOVT SANDIPANI<br>HSS KURWAI                          | Vidisha |
| 13 | 6002250693087 | 785  | AMRITANSHU<br>RAI F/H Name-<br>PANCHAM<br>SINGH RAI                    | 262 NEAR TATA<br>INDICOM TOWER<br>PATHAK WARD<br>BINA BINA SAG<br>MADHYA<br>PRADESH 470113                | SC | SC/X/OP    | DISE-<br>23310401710<br>PMSHri-GHSS<br>ANANDPUR(1 to<br>12)                   | Vidisha |
| 14 | 6002250631240 | 877  | MANISH<br>AHIRWAR F/H<br>Name- SITA<br>RAM AHIRWAR                     | WARD NO 4<br>RAVIDAS<br>COLONY GANJ<br>BASODA BASODA<br>VID MADHYA<br>PRADESH 464221                      | SC | SC/X/OP    | DISE-<br>23310625063<br>GOVT SANDIPANI<br>HSS SIRONJ                          | Vidisha |
| 15 | 6009250669959 | 937  | ASHISH<br>CHINDARIYA<br>F/H Name-<br>KAILASH<br>KUMAR<br>CHINDARIYA    | H NO 2 WARD 5<br>MALHARGARH<br>ROAD IMLI<br>CHOURAHA<br>MUNGAOLI ASN<br>MADHYA<br>PRADESH 473443          | SC | GF/SC/X/OP | DISE-<br>23310602106<br>GHSS<br>BHAGWANTPUR(<br>1 to 12)                      | Vidisha |
| 16 | 6002250678077 | 1232 | ANUJAY<br>KUJUR F/H<br>Name-<br>NAYANSUKH<br>KUJUR                     | H NO 43 A BLOCK<br>STREET 02 PREM<br>NAGAR NARIYAL<br>KHEDA HUZUR<br>BHP MADHYA<br>PRADESH 462038         | ST | ST/X/OP    | DISE-<br>23310418127<br>GOVT SANDIPANI<br>HSS LATERI                          | Vidisha |

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्ठां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्थायपेड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

निरंतर पृष्ठ.....03

*[Handwritten signature]*

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक खेल पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र
- XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी। विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

पृ. क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/774-75  
प्रतिलिपि:-

विदिशा, दिनांक 04/07/2026

1. विशेष सहायक,माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7. संभागायुक्त भोपाल संभाग मध्यप्रदेश ।
8. कलेक्टर जिला विदिशा ,मध्यप्रदेश ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल ,मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कौषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी.....जिला विदिशा म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
12. संबंधित संकुल प्राचार्य .....विकासखण्ड .....जिला विदिशा मध्यप्रदेश ।
13. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति दें।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-विदिशा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-विदिशा

क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/776

विदिशा, दिनांक 04/7/2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक संगीत-गायन वादन पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक संगीत-गायन वादन के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

| SN | ROLL NO       | RANK | NAME AND F/H NAME                                         | ADDRESS                                                                                                   | CATE GORY | SELECTED CATEGORY | POSTING PLACE                                                                   | DISTRICT |
|----|---------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 6003250731198 | 72   | KALYANI RAI<br>F/H NAME-<br>SHIV KUMAR                    | 156 KHURAI<br>ROAD NANDAN<br>VATIKA BINA<br>BINA STATION<br>BINA SAG<br>MADHYA<br>PRADESH<br>470113       | OBC       | OBC/X/F           | DISE-<br>23310128396<br>GOVT<br>SANDIPANI<br>HSS<br>RAJENDRA<br>NAGAR<br>BASODA | Vidisha  |
| 2  | 6002250644458 | 120  | DEEPAK<br>SHARMA F/H<br>NAME-<br>HEMRAJ<br>SHARMA         | WARD NO 5<br>NEAR BIJASAN<br>MATA MANDIR<br>BARETH ROAD<br>GANJ BASODA<br>VID MADHYA<br>PRADESH<br>464221 | EWS       | UR/X/O            | DISE-<br>23310121609<br>GHSS<br>SIRNOTA(6 to<br>12)                             | Vidisha  |
| 3  | 6002250666109 | 124  | KRITI<br>THAKUR F/H<br>NAME-<br>KRIPAL<br>SINGH<br>THAKUR | 10 CHANDAMAU<br>CHANDAMAU<br>SAGAR SAG<br>MADHYA<br>PRADESH<br>470115                                     | OBC       | UR/X/F            | DISE-<br>23310723121<br>GHSS GIRLS<br>SHERPURA(6<br>to 12)                      | Vidisha  |
| 4  | 6002250710821 | 139  | SHASHIKANT<br>SHARMA F/H<br>NAME-<br>MUNNALAL<br>SHARMA   | I 1 BLOCK<br>COLONI I 1<br>BLOCK COLONI I<br>1 VIDISHA VID<br>MADHYA<br>PRADESH<br>464001                 | EWS       | UR/X/O            | DISE-<br>23310720309<br>PMSHri-GHSS<br>SATAPADA<br>SARAI(1 to 12)               | Vidisha  |
| 5  | 6009250635146 | 195  | KRATI<br>TIWARI F/H<br>NAME-<br>RADHA<br>MOHAN<br>TIWARI  | S/O RADHA<br>MOHAN TIWATI<br>MANORMA<br>WARD SHIBALAY<br>MANDIR BINA<br>SAG MADHYA<br>PRADESH<br>470113   | EWS       | EWS/X/O           | DISE-<br>23310310710<br>PMSHri-GHSS<br>LAYARA<br>(Nursery to 12)                | Vidisha  |
| 6  | 6009250701969 | 348  | MANOJ F/H<br>NAME- RAM<br>LAL                             | GRAM<br>PATHARIYA JAT<br>PATHARIYA JAT<br>SAGAR SAGAR<br>SAG MADHYA<br>PRADESH<br>470228                  | SC        | SC/X/O            | DISE-<br>23310701704<br>GHSS<br>BAGARI(1 to<br>12)                              | Vidisha  |

निरंतर पृष्ठ.....02

*[Handwritten signature]*

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्ठां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक संगीत-गायन वादन पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

XXIX. नियुक्ति आदेश

XXX. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस

XXXI. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)

XXXII. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र

XXXIII. मूल निवासी प्रमाण पत्र

XXXIV. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)

XXXV. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)

XXXVI. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति

XXXVII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।

XXXVIII. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।

XXXIX. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र

XL. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची

XLI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नही आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)

XLII. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र / जाति / निःशक्ता / शैक्षणिक योग्यता / शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-विदिशा

विदिशा, दिनांक 04/7/2026

पृ. क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/776 -77  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7. संभागायुक्त भोपाल संभाग मध्यप्रदेश ।
8. कलेक्टर जिला विदिशा, मध्यप्रदेश ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी.....जिला....., म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
12. संबंधित संकुल प्राचार्य .....विकासखंड .....जिला विदिशा मध्यप्रदेश ।
13. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति दें।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-विदिशा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-विदिशा

क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/778

विदिशा, दिनांक 04/7/2026

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक नृत्य पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नृत्य के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

| SN | ROLL NO       | RANK | NAME AND F/H NAME                         | ADDRESS                                                                                     | CATE GORY | SELECTED CATEGORY | POSTING PLACE                                              | DISTRICT |
|----|---------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 6002250635153 | 18   | JYOTI BISARIA F/H Name- R P BISARIA       | WARD NO 07 SHASTRI NAGAR VIDISHA VIDISHA VID MADHYA PRADESH 464001                          | SC        | UR/X/F            | DISE- 23310723118 GOVT SANDIPANI HSS BARRIPURA VIDISHA     | Vidisha  |
| 2  | 6004250758545 | 186  | ANJALI SHRIVAS F/H Name- ANIL SHRIWAS     | 301 AMAN REGENCY 42/B MR 3 MAHALAXMI NAGAR INDORE IND MADHYA PRADESH 452010                 | OBC       | UR/X/O            | DISE- 23310207416 GOVT SANDIPANI HSS GYARASPUR             | Vidisha  |
| 3  | 6005250771330 | 192  | RIDDHIMA RAIKWAR F/H Name- RAKESH RAIKWAR | LP 3/12 SANJEEVANI HEALTHCARE CENTRE REWA COLONY, RAMPUR JABALPUR JBP MADHYA PRADESH 482008 | OBC       | OBC/X/O           | DISE- 23310128396 GOVT SANDIPANI HSS RAJENDRA NAGAR BASODA | Vidisha  |

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्ठां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

निरंतर पृष्ठ.....02

*[Handwritten signature]*

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- XV. नियुक्ति आदेश
- XVI. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- XVII. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र )
- XVIII. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S. ) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- XIX. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- XX. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- XXI. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है )
- XXII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- XXIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- XXIV. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XXV. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र
- XXVI. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XXVII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XXVIII. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला-विदिशा  
 निरंतर पृष्ठ.....03

पृ. क्रमांक./स्था.5/नियो./2026/778 -79  
प्रतिलिपि:-

विदिशा, दिनांक 04/7/2026

1. विशेष सहायक,माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
7. संभागायुक्त भोपाल संभाग मध्यप्रदेश ।
8. कलेक्टर जिला विदिशा ,मध्यप्रदेश ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल ,मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र ।
11. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी.....जिला विदिशा म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
12. संबंधित संकुल प्राचार्य .....विकासखण्ड .....जिला विदिशा मध्यप्रदेश ।
13. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति दें।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-विदिशा